(2801
19.10.16)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः नि.स./वि.शा.स./वि.प्रा./2016/961 दिनांक 07 अक्टूबर, 2016

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

DLR
02
10/10/2016

विषयः-दिनांक 12.11.2016 को सम्पूर्ण प्रदेश में आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में।

सन्दर्भः-राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र कमांक रालसा/नेलोकअ/2016/12342 दिनांक 29.09.2016 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के परिपत्र कमांक L/39/2015, NALSA दिनांक 27.09.2016 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य में दिनांक 12.11.2016 को सभी न्यायालयों में लम्बित व प्री-लिटिगेशन के मामलों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत किसी विषय विशेष के प्रकरणों के लिए सीमित न होकर सभी प्रकार के प्रकरणों के लिए आयोजित की जाती है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अपने-अपने विभागों से संबंधित प्रकरणों की संख्या के अनुरूप राज्य के समस्त न्यायालयों में सक्षम अधिकारियों की सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित कर प्रभावी कार्य योजना तैयार कर अधिक से अधिक प्रकरणों को लोक अदालत द्वारा निस्तारित करवाने का यथासंभव प्रयास करें जिससे कि राज्य सरकार के विरुद्ध लंबित विवाद सदैव के लिए समाप्त हों एवं समय, श्रम एवं धन की बचत होने के साथ-साथ न्यायालयों में लंबित विवादों का निस्तारण हो सके।

यह भी अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को अविलम्ब अवगत कराने का श्रम करें।

1317-2276
13/X/16

संलग्नः-1. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का पत्र दिनांक 29.09.2016 की प्रति
2. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का परिपत्र दिनांक 27.09.2016

भवदीय,

7.10.16

(प्रमिल कुमार माथुर)
नोडल अधिकारी
विशिष्ट शासन सचिव,
विधि (प्रारूपण) विभाग

18/10/16

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ2 (1)13/विधि/प्रमुवस/14229-14353 दिनांकः 27.10.16

प्रतिलिपि समस्त वनाधिकारियों को भेजकर लेख है कि दिनांक 12.11.2016 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विभागीय प्रकरणों के निरतारण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करवाने की व्यवस्था करावें।

संलग्नः-1. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का पत्र दिनांकः 29.9.16 की प्रति
2. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का परिपत्र दिनांक 27.09.16

(उपेन्द्र पाल सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)
(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

क्रमांकःरालसा/नेलोकअ/2016/12342 दिनांकः- 29/9/16

प्रेषितिः-

विशिष्ट शासन सचिव, विधि (प्रारूपण),
एवं नोडल ऑफीसर, राष्ट्रीय लोक अदालत,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः दिनांक 12.11.2016 को पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने के संबंध में।

संदर्भः- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली का पत्र कमांक ए.न.एल/39/2015 नाल्सा दिनांक 27.9.2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रासंगिक पत्र द्वारा दिनांक 12.11.2016 को प्रदेश के सभी न्यायालयों में लम्बित व प्री लिटिगेशन मामलों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिये है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत किसी विषय विशेष के प्रकरणों के लिए सीमित न होकर सभी प्रकार के उपयुक्त प्रकरणों के लिए आयोजित की जानी है।

नालसा ने प्रासंगिक पत्र में लोक अदालत के लिए उपयुक्त प्रकरणों की सूची दी गयी है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में नाल्सा द्वारा उल्लेखित किये गये सभी प्रकरणों को प्रमुखता से सम्मिलित किया जाना है। इस सूची के अतिरिक्त अन्य प्रकृति के उपयुक्त प्रकरणों को भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सम्मिलित किया जाना है, सुलभ संदर्भ हेतु नाल्सा के प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः माननीय कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अनुरोध है कि उपयुक्त प्रकरणों का आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कराने हेतु एक सुनियोजित कार्य योजना तैयार करें। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये राज्य सरकार के स्तर पर ऐसे प्रकरणों में राजीनामा करने के लिए, इन्हें कम्पाउन्ड कराने या वापस लेने बाबत आवश्यक आदेश पारित करावें एवं अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करावें।

निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया इस सम्बन्ध में कार्यवाही का प्रतिवेदन एवं जारी किये गये आदेशों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ एवं अग्रिम निर्देशार्थ रखा जा सके।

सादर,

संलग्न : उपर्यक्तानुसार

भवदीय,

29/09/2016

सदस्य सचिव

P.S. to put up with file

29/9/16

का अधिव

NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

Department of Justice, Ministry of Law & Justice, Govt. of India
न्याय विभाग, कानून एवं विधि मंत्रालय, भारत सरकार
12/11, Jam Nagar House, Shahjahan Road New Delhi –110011
12/11 जाम नगर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली-110011

Tel. 011-23382778
011-23386176
Fax 011-23382121

F. No. L/39/2015, NALSA
Date: 27.09.2016

Member Secretaries
All State Legal Services Authorities

Dear Sir/Madam,

The National Lok Adalats are being organized throughout the country every month during the year 2016 on a specified subject matter. As per the schedule sent by NALSA to all State Authorities during the month of January, 2016, all State Legal Services Authorities have been requested to hold monthly National Lok Adalat on a specified subject matter during the year 2016. In addition to monthly National Lok Adalats, the State Authorities are requested to hold one National Lok Adalat exclusively for all matters, both pre-litigation and pending , during the month of November/December, 2015.

2. In this connection, I would like to bring to your kind attention that Hon'ble Chief Justice of India and Hon'ble Executive Chairman, NALSA have desired that the National Lok Adalat for all matters may be organized throughout the country right from Taluk level court to Supreme Court on 12-11-2016.

3. The following types of cases that are presently pending in the courts at various levels may be taken up for disposal at the National Lok Adalat:

1. Criminal compoundable cases.
2. Negotiable Instruments Act under Section 138.
3. MACT Cases: Accident Information Report (AIR) case should also be taken up in MACT as also State Transport cases.
4. Matrimonial/family courts cases.
5. Labour Disputes including cases where re-employment with no back wages (as per policy) could be disposed of and including cases relating to Liquidation where claims of industrial workers for wages and other benefits are pending.
6. Land Acquisition cases including relating to Industrial Boards, land acquisition for ONGC, Railways and other centrally sponsored schemes and also land acquisition executions.
7. Civil Cases—rent, bank recovery, easmentary rights, Debt Recovery Tribunal Cases.
8. Revenue Cases.
9. MNREGA.
10. Electricity & Water Bills (excluding Theft cases)
11. Cases relating to Sales Tax, Income Tax, Indirect Tax (CESTAT) other Revenue matters in Mumbai/Delhi other commercial centers.
12. Service matters relating to pay and allowances and retiral benefits.
13. Forest Act cases.
14. Cantonment Boards matters.

15. Railway Claims.
16. Disaster compensation.
17. Misc. Appeals, Criminal Appeals, Civil Appeals, 2nd Appeals, Original suits, Writs, MACT appeals before the Hon'ble High Court
18. Covered Matters.

Special focus could be on old pending cases, in these subject matters.

4. I request that special focus could be on old pending cases, in the aforesaid subject matters. It is further suggested that the task of identifying suitable cases be undertaken in all earnestness. Pre-litigation cases may also be taken up. At the same time, care must be taken to avoid including such cases where disposal at the Lok Adalat will not result in a non-executable decree. This will be in keeping with the resolution passed at the All India Meet of the SLSAs held at Ranchi during the month of March, 2015.

5. NALSA may be informed at regular intervals of the progress in the preparations. The details of expenses incurred under distinct heads may also be forwarded to NALSA immediately after the National Lok Adalat.

6. I request your goodself that this letter may kindly be place before the Hon'ble Patron-in-Chief and the Hon'ble Executive Chairman of your State Authority for further directions.

With kind regards,

Yours sincerely

(Alok Agarwal)
Member Secretary